न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 92/19

1. साहबराम पुत्र श्री पतराम जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी चक 52 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। –प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री पतराम जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। –अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति:–

1. श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अवतार सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक:– 27-11-2019

–:निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 52 एनपी मु.नं. 27 पं.नं. 244/329 के कि.नं. 2, 3, 4/1, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की 2.365 है0 नहरी भूमि है। जिसमें 5 की .126 है0 भूमि है। उक्त कि.नं. 5 की शेष .127 है0 अप्रार्थी पृथ्वीराज के नाम दर्ज है। जो लगभग 20–22 वर्ष पूर्व हुए खाता विभाजन से उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी को प्राप्त हुई थी। कि.नं. 5 को प्रार्थी वं अप्रार्थी ने कुतरी बांट रखा है। जिसमें उतरी पश्चिमी पासा प्रार्थी साहबराम के पास था। पूर्वी दक्षिणी पासा अप्रार्थी पृथ्वीराज के पास है। कि.नं. 5 में प्रार्थी के हिस्सा में आई भूमि पर 30–35 वर्ष पूर्व एक टयुबवेल लगा हुआ था। अप्रार्थी प्रार्थी का भाई है। इसलिए सहमति से साहबराम उक्त टयुबवेल को उपयोग करने हेतु पृथ्वीराज को अनुमति दी हुई थी। परन्तु कुछ अरसा से उक्त टयुबवेल खराब पड़ा है, तथा अप्रार्थी जबरन प्रार्थी के हिस्से में बने टयुबवैल पर अपना कब्जा मानकर उक्त टयूबैव़ल को मरम्मत आदि का कार्य जबरन कर प्रार्थी की फसल को नुकसान पहूंचा रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त अवैधानिक कृत्य से रोका तो वह मानने से इंकार हो गया, प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना समेजा कोठी में अप्रार्थी के उक्त अवैधानिक कार्य को रोकने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया तो पुलिस थाना समेजा कोठी द्वारा संबंधित अधिकारी से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत करने को कहा, प्रार्थी को न्यायालय में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। प्रार्थी के पास अपने अधिकारी को संसुरक्षा व कब्जा काश्त के रकबा में बने टयूबवैल को अप्रार्थी द्वारा जबरन उपयोग उपभोग बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी के द्वारा यह वाद पेश किया जा रहा है। वादी के कब्जा अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामल प्रार्थी के हक में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 52 एनपी के मु.नं. 27 के कि.नं. 5 में बने प्रार्थी के टयुबेवल को उपयोग व उपभोग करने से बाज व ममनू रहें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अवतार सिंह उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थी के टयुबवेल को अप्रार्थी जबरन उपयोग व उपभोग करने से बाज व ममनू रहे। इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी सादिर फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी को टयुबवेल को बेचान कर 6000/–रूपये नकद प्राप्त कर लिये थे। टयूबवेल द्वारा मैं अपने खेत में पानी लगाता हूं। प्रार्थी द्वारा रास्ते के बदले भूमि देकर तथा टयूबवेल का मूल्य प्राप्त कर प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी के हवाले किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

है। जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबन्दी चक 52 एनपी सम्वत् 2076–79 खाता सं. 54/48 मु.नं 27 के विवादित कि.नं. 5 का .126 है0 भूमि साहबराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है। शेष रकबा .127 है0 अप्रार्थी पृथ्वीराज के नाम से दर्ज है। टयुबवेल किसके रकबा में है। यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जाना है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.09.2019 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27-11-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 13:29:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: